



सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 749 राँची, मंगलवार

28 अग्रहायण, 1945 (श०)

19 दिसम्बर, 2023 (ई०)

## गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

-----

अधिसूचना

12 दिसम्बर, 2023

संख्या-08/FSL(07)-14/2022-6860--विभागीय अधिसूचना संख्या-5430, दिनांक-18.10.2019 द्वारा अधिसूचित "झारखण्ड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला सेवा नियमावली, 2019" (यथा संशोधित) के नियम-15 (ii) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा झारखण्ड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला सेवा नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) में संशोधन हेतु निम्नलिखित संशोधन नियमावली गठित करते हैं:-

### 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

(1) यह नियमावली "झारखण्ड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला सेवा (संशोधन) नियमावली, 2023"

कही जायेगी ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(3) यह नियमावली इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी ।

2. झारखण्ड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला सेवा नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के नियम -6, (i) (b)में अंकित प्रावधान-संलग्न परिशिष्ट-I के क्रम संख्या-1 से 14, जो वैज्ञानिक सहायक के मूल पद पर नियुक्ति से संबंधित शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त जोड़े गये प्रावधान-

“उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति-रिवाज भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा ।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।” को विलोपित किया जाता है ।

3. झारखण्ड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला सेवा नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के नियम 6 (v) (c) में अंकित “उम्र सीमा अधिकतम 55 वर्ष होना चाहिए” वाक्यांश को “न्यूनतम उम्र सीमा-50 वर्ष एवं अधिकतम उम्र सीमा 55 वर्ष होनी चाहिए” वाक्यांश से प्रतिस्थापित किया जाता है एवं एक नई उप नियम-6 (v) (d) के रूप में “राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, झारखण्ड, राँची के निदेशक का चयन साक्षात्कार द्वारा किया जायेगा” जोड़ा जाता है ।

4. झारखण्ड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला सेवा नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे तथा शेष अंश यथावत् रहेंगे ।

5. प्रस्तावित संशोधन के उपरांत इसे झारखण्ड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला सेवा (संशोधन) नियमावली, 2023 के नाम से जाना जाएगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**अविनाश कुमार,**

सरकार के अपर मुख्य सचिव ।

-----